**सं.सीबीएसई/भर्तीप्रकोष्ठ/2(18)/55 दिनांक:01.10.2020**

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के.मा.शि.बो.) अनुबंध आधार पर परामर्शदाता (03 पद) के रूप में नियुक्ति हेतु केंद्रीय/राज्य सरकारों/ केंद्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों/ रेलवे में 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के कम से कम स्तर- 9 (ग्रेड वेतन रु 5400 और पीबी -2 में) में संगठित लेखा सेवाओं से लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पदों से सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

1. **पदों की संख्या =03**
2. **अनिवार्य अर्हता**
	1. **अनुभव:** आवेदकों को सरकारी प्रतिमानकों के अनुसार सरकार में प्रापण प्रक्रिया का कार्यसाधक ज्ञान, लेखा, स्थापना, लेखा परीक्षा, समाधान का अनुभव, पीएफएमएस, ड्राफ्टिंग, सेवा नियमों, भत्तों, बजट तैयार करने, पेंशन संबंधी कार्य और निधि प्रबंधन का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
	2. **शैक्षिक अर्हता:** एकमान्यता प्राप्तविश्वविद्यालय अथवा संस्था सेस्नातक/परास्नातक
3. **परिलब्धियां**
	1. डीए के अतिरिक्तभत्तों केघटक के बिनापेंशन घटा कर आहरित अंतिम वेतन के समतुल्य समेकित पारिश्रमिक परामर्शदाता(ओं) को देय होगा।
	2. वे समेकित वेतन के अलावा किसी अन्य भत्ते एवं सुविधा के पात्र नहीं होगें।
4. **आयु सीमा**: उन्होंने 01.07.2020 को 63 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की होनी चाहिए।
5. **अवकाश:** परामर्शदाता कैलेंडर वर्ष में 08 दिन के अवकाश के पात्र होगें बशर्ते सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन हो।
6. **सामान्य नियम एवं शर्ते**
	1. परामर्शदाता को विद्यमान रिक्तियों के समक्ष संविदा आधार पर अथवा एक वर्ष के लिए लिया जाएगा और यह अवधि उनके प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है परंतु 65 वर्ष की आयु से आगे नहीं होगी।
	2. उम्मीदवार को चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए जिसके लिए कम से कम एमबीबीएस अथवा समतुल्य चिकित्सा डिग्री रखने वाले पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से जारी एक चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा।
	3. उम्मीदवार सेवानिवृति के समय सतर्कता दृष्टि से मुक्त होना चाहिए। इसके प्रमाण के रुप में, पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान प्राधिकरण की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति से एक वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस आशय से प्राप्त करना होगा कि नियुक्ति के समय पर उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
	4. कार्य दिवसों के दौरान कार्य समय सामान्यत: 09.00 पूर्वाह्न से 5.30 अपराह्न तक है। तथापि कार्य की आकस्मिकताओं में, उन्हें देर तक बैठना अपेक्षित है और शनिवार/रविवार और अन्य अवकाशों को बुलाया जा सकता है।
	5. वह समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालयी गुप्त अधिनियम, 1923 द्वारा शासित किए जाएंगे और वे किसी अनाधिकृत व्यक्तियों को कोई भी सूचना/डाटा जो विभाग में “परामर्शदाता” के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान ध्यान में आती है, उद्घाटित नहीं करेंगे। सभी ऐसे दस्तावेज बोर्ड की संपत्ति होंगे।
	6. वह बोर्ड की लिखित सहमति के बिना अपने सुपुर्द कार्य के उद्देश्य के लिए अथवा विभाग के लिए सुपुर्द कार्य के दौरान एकत्र किए गए डाटा अथवा आकड़ों अथवा कार्यवाहियों अथवा सूचना के किसी भाग को अन्य पक्ष के लिए उपयोग अथवा प्रकाशित अथवा उद्घाटित अथवा साझा नहीं करेंगे।
	7. एकत्र किए गए डाटा की बौद्धिक संपत्ति और बोर्ड के लिए उत्पादित किए गए प्रदेय वस्तुएं बोर्ड में ही रहेंगे।
	8. उनका ध्यान परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र सं. 01/01/17 दिनांक 23.1.2017 एवं परिपत्र सं. 08/06/2011 दिनांक 24.6.2011 की ओर आकर्षित किया जाता है। वे नीतिपरक व्यवसाय एवं व्यावसायिकता के मानकों को देखते हुए बोर्ड में उनकी नियुक्ति के दौरान उनके द्वारा दी गई किसी सलाह अथवा किसी सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।
	9. उन्हें हर समय बोर्ड के हित में कार्य करना चाहिए और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के साथ सलाह/सेवा देनी चाहिए।
	10. वह बोर्ड में परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हुए सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, प्रतियोगिधारिता, मितव्ययता और दक्षता को बनाए रखेंगे। यदि आवश्यक है तो परामर्शकार्य संविदा के प्रसंस्करण अथवा निष्पादन/परामर्शदाता द्वारा निभाए गए संविदात्मक कर्त्तव्यों से संबंधित किसी अन्य मामले पर जांच संचालित होने पर, वह किसी भी वैध तरीके से तैयार/गठित अन्वेषण निकाय को पूर्ण सहयोग देंगे।
	11. बोर्ड द्वारा नियुक्त परामर्शदाता किसी भी स्थिति में दूसरों को अभ्यवेदन नहीं करेंगे अथवा किसी भी मामले में राय अथवा सलाह नहीं देंगे जो बोर्ड के हित के प्रतिकूल हो, और न ही संविदात्मक सुपुर्द कार्य के प्रतिमानकों के बाहर किसी गतिविधि में शामिल होंगे।
	12. वे सक्षम प्राधिकारी/नियंत्रक अधिकारियों की अपेक्षा के अनुसार निर्धारित अवधि में सुपुर्द कार्य को पूरा करेंगे। वे संविदात्मक अवधि के दौरान किसी सुपुर्द कार्य अथवा संविदा को नहीं लेंगे जो बोर्ड के हित में टकराव उत्पन्न करता हो।
	13. वे संविदा के समाप्त होने से पूर्व अथवा बोर्ड द्वारा अंतिम भुगतान जारी करने से पहले बोर्ड को सुपुर्द कार्य के रिकॉर्ड के पूरे सेट को वापस करने के लिए बाध्य होंगे।
	14. परामर्शदाता की नियुक्ति बोर्ड द्वारा किसी भी समय कोई कारण बताये बिना उनको 15 दिनों का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। तथापि, यदि परामर्शदाता त्यागपत्र देना चाहता है, उसे तो नियुक्ति को त्याग पत्र देने से 15 दिन पहले नोटिस अथवा उसके बदले पारिश्रमिक देना होगा।
	15. उम्मीदवार ऊपर बिन्दु 2 पर दी गई शर्तों के अनुसार पद के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो। कार्यालय से साक्षात्कार पत्र को प्राप्ति पद के लिए उनकी पात्रता की संगठन का अनुमोदन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
7. **आवेदन कैसे करें:** आवेदन करने से पहले उम्मीदवार के पास पासपोर्ट आकार की वर्तमान फोटोग्राफ (30 माह से अधिक पुरानी नहीं हो) होनी चाहिए। कृपया नोट करें कि केवल “ऑनलाइन आवेदन” स्वीकार्य है और किसी अन्य प्रकार के आवेदन स्वीकार्य नहीं है। आवेदन करते समय, ई-मेल आईडी (कम से कम 12 माह तक वैध) **और** एक वैकल्पिक ई-मेल आईडी अनिवार्य क्षेत्र है, जिसके बिना आवेदन पंजीकृत नही होगा।

चरण 1: <http://www.cbse.nic.in> पर लॉग ऑन करें।

चरण 2: विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप पद के लिए पात्रता मानदंड पूरा करते हैं।

चरण 3: “ऑनलाइन आवेदन” के कोष्ठक पर क्लिक करें, ऑनलाइन आवेदन पत्र स्क्रीन पर प्रकट होगा।

चरण 4: अपने विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। (उम्मीदवारों को वास्तविक रूप से ऑनलाइन डाटा भरने से पहले खाली ऑनलाइन पत्र का प्रिंट निकालने और भरने की सलाह दी जाती है।)

चरण 5: सभी आवश्यक दस्तावेज़ अर्थात फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और पीपीओ इत्यादि को अपलोड करें।

चरण 6:“सबमिट” बटन पर क्लिक करें। एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रकट होगी और इस पंजीकरण संख्या को नोट करें।

चरण 7: “प्रिंट आवेदन” विकल्प पर जाएं और पहले भरे हुए आवेदन को जनरेट करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि को लिखे। भविष्य के संदर्भ के लिए सिस्टम से जनरेट हुए **ऑन-लाइन आवेदन पत्र** का ए- 4 आकार के पेपर में प्रिंट आउट लें।

1. केवल संक्षिप्त सूची में रखे गए उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा और सभी दस्तावेजों के स्व सत्यापित प्रतिलिपियों के दो सेटों सहित मूल दस्तावेजों को साक्षात्कार के समय विधिवत भरे **ऑन-लाइन आवेदन पत्र के साथ** प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
2. उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे आवेदन पत्रों की कोई भी हार्ड कॉपियां बोर्ड को नहीं भेजने की सलाह दी जाती है। ऑफलाइन तरीके से कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**हस्ता/-**

**(अनुराग त्रिपाठी)**

**सचिव**

**यदि आपको ऑनलाइन पंजीकरण के मामले में कोई कठिनाई आती है, तब हमें** **do.rc.cbse.hq@gmail.com** **पर सूचित करें।**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*